राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांक :– प.1(1)साप्र/2/2014 पार्ट                                                   जयपुर, दिनांक 24/8/15

–: आदेश :–

श्री विजय कुमार सिह आई.पी.एस. महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 11/2015 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.3.2032 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 20–ए, हीराबाग जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन रिक्त होने की प्रत्याशा में किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ııı)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment I.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस) मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी संख्या एफ 15000576 दिनांक 19.08.2015 के क्रम में।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 420/M/GAD/2015 दिनांक 17.08.2015 के क्रम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड द्वितीय, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभियान्त्रिकी विभाग, हीराबाग/गांधीनगर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गॉधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. संबंधित अधिकारी।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment I.doc